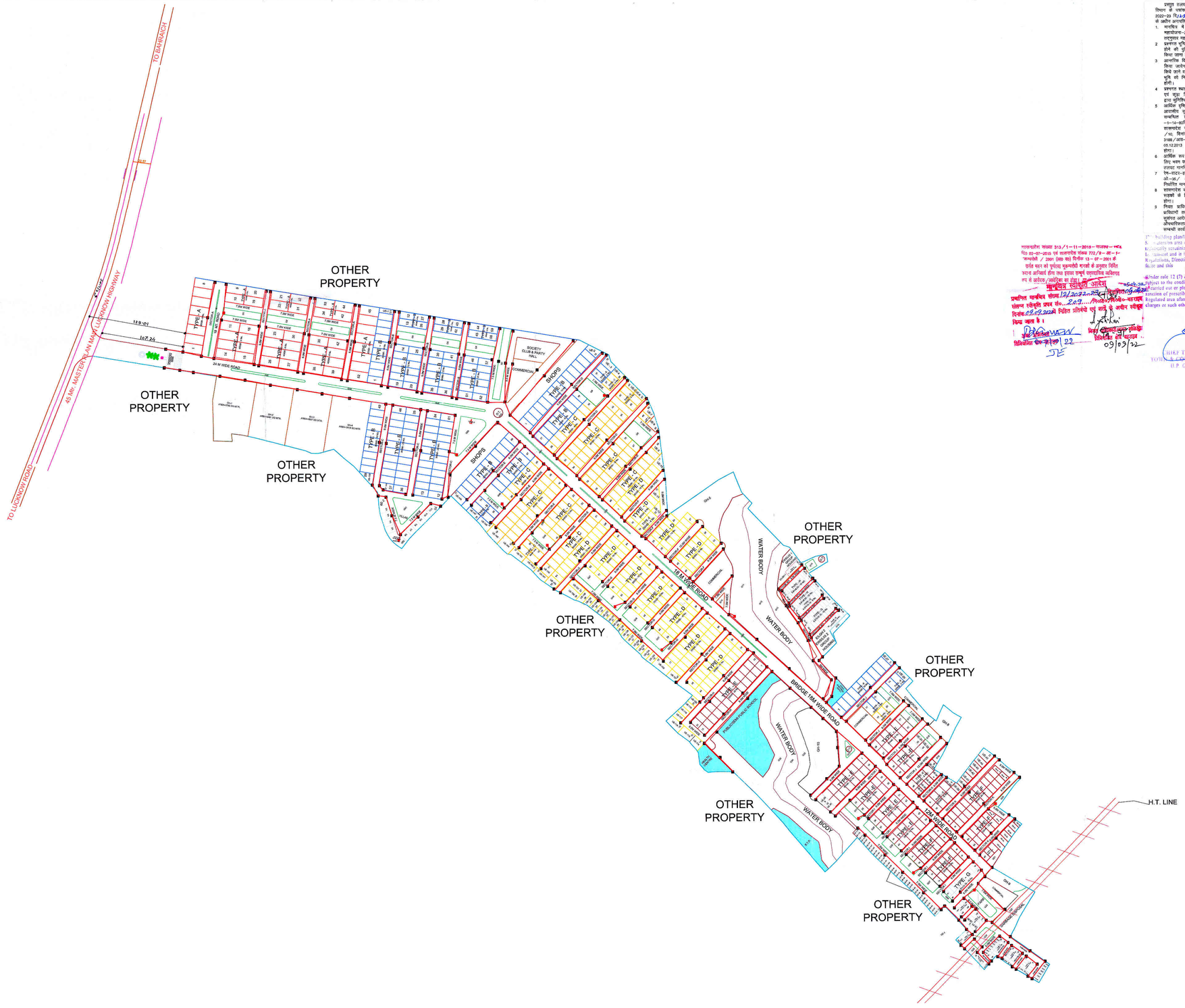

ELECTRICAL PLAN

UNIMAXX CITY, BAHRAICH

AT BAHRAICH - LUCKNOW MAIN ROAD
NEAR HARIYALI RESORT, BAHRAICH UP

DEVELOPERS:-
M/S UNIMAXX CITY BAHRAICH PVT.LTD.
ADD.- 1/67- VIRAM KHAND, GOMTINAGAR
LUCKNOW (U.P.) 226010

DEVELOPERS SIGN:-
For UNIMAXX CITY
Authorised Signatory

ARCHITECT SIGN:-
ARCHITECT
ANIL KUMAR MISHRA
B.ARCH.,M.C.A.
CA REG. No.-CA/89/12393
PH: 7755074835, 7754007899

NORTH:-

SCALE:- 1:1000

DATE:- MAR 2022

प्रस्तुत लेआउट मानचित्र पर कब्जा एवं भाग नियोजन विभाग के पत्रांक-2312/टी.सी./सहायक-अभियंता/2022-23 दि.12-9-2022 द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. मानचित्र में प्रदर्शित मार्ग की स्थिति महायोजना महायोजना-2021 के मार्ग प्लान पर दर्शित है, तदनुसार महायोजना-21 उपरान्त अनापत्ति है।
2. प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व विकासकर्ता/फर्म के पास है होने की दृष्टि निगम प्राधिकरण स्तर से सुनिश्चित किया जाना होगा।
3. आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता/फर्म द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा निगम प्राधिकरण से विकास हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध में विकास लागत की समतुल्य भूमि को निगम प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण रहेगी।
4. प्रस्तावित स्थान हेतु जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज एवं सड़क निर्माण की व्यवस्था विकासकर्ता/फर्म द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
5. आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने विषयक नीति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-4/2015/16/आ0-1-14-80विविध/2010, दिनांक 20.01.2015, शासनादेश संख्या-1/2416/आ0-1-14-80 विविध/10, दिनांक 26.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-3188/आ0-1-13-80 विविध /2010, दिनांक 05.12.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
6. आर्थिक रूप से दुर्बल आय एवं अल्प आय वर्गों के लिए भवन का निर्माण/भू-खण्ड विक्रय सम्बन्धी लखनऊ मानचित्र के अनुरूप किया जाना होगा।
7. पेय-वाटर-इकोनॉमी का प्राविधान शासनादेश सं. यू.ओ.-28/ 30-11-06, दिनांक 25.04.2006 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना होगा।
8. शासनादेश के प्राविधानानुसार खुले स्थानों/पार्कों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाना होगा।
9. निगम प्राधिकरण द्वारा आर.डी.ओ. एक्ट-1958 के प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेश आदेशों/निर्देशों के अनुसार अवशेष अन्य सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कराने के उपरान्त ही स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

शासनादेश संख्या 313/1-11-2010-एल0एन0-न0वि0 दि0 02-07-2010 एवं शासनादेश संख्या 722/9-आ-1-अन्यशोधी / 2001 (खण्ड 80) दिनांक 13-07-2001 के सर्वित भवन की पूर्णतया मुकम्मलीयी मानकों के अनुसार निर्धारित शुल्क अभिकर्ता द्वारा जमा हुआ सम्पूर्ण धनराशि अधिकतम रूप से आदेश/आदेशों का रहा।

मानचित्र स्वीकृति आदेश
प्रस्तावित मानचित्र संख्या 1/2022-23 एवं मानचित्र संख्या 209/Bahraich/2022-23 स्वीकृत किया जाता है।
दिनांक 08.12.2022 निर्गत प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है।
अधिशासी अभियन्ता
09/09/22
SE

Building plan/layout plan having a floor area of ..... 29382 ..... situate at ..... has been scrutinized by the town and country planning department and it is in accordance with bye-laws, Rules, Regulations, Directions, Zoning Regulations and Guidelines in force and this

NO OBJECTION

is issued under rule 12 (7) & 4 (6) U.P.R.B.O. Act 1958) is issued subject to the condition that no construction of development shall be carried out or plots disposed off without the permission of prescribed Authority..... BAHRAICH ..... Regulated area after payment of required fees, development charges or such other payment as may be required

09 SEP 2022
CHIEF TOWN & COUNTRY PLANNER
TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
U.P. GOVERNMENT, LUCKNOW

PROJECT TITLE:-

(5/5)

UNIMAXX CITY, BAHRAICH
SITUATED AT-
GATA NO- 667,668,669,670,671,672,673, 674,675,676,677,678,679,680,681,683,685M, 689,109M,740,741,744,745,746,747,749,750,751, 753,754,755,756M,757,758,759,760,761,762, 763,764,765,766,767,769,770,771,748,752, 768 (VILL. SISAI HAIDER)

GATA NO- 850,851,852,853,854,856,857, 858,859,860,861,862,863,864,865,866,867, 868,869,870,871,872,873,874,878,879,880, 881,882,884,885,886,887,888,1055,1056, 1057,1060,1061,1064,1065,1066,1068,1069, 1070,1076,1078,1079,1093,131,855,856,868, 1056,1057,1058,1059,1063, (VILL-SHIEKH DAHIR)

LEGENDS

ELECTRICAL POLES

TRANSFORMER

ELECTRIC LINE

POPULATION UNDER EVEN PLOTS

Sl. No.	Type	Size	Area	No. of Plots	Person Per Unit	Population
1.	A	12.19X24.38	297.19	52	20	1040
2.	B	9.14X18.28	167.07	175	20	3500
3.	C	9.14X15.24	139.29	128	10	1280
4.	D	7.62X15.24	116.12	167	10	1670
5.	E	9.14X12.19	111.46	112	10	1120
6.	F	7.62X12.19	92.88	71	10	710
7.	V	6.09X12.19	74.23	11	10	110
8.	G LIG	4.57X10.6	48.45	64	5	320
9.	H EWS	3.81X8.53	32.50	62	5	310
			TOTAL	842		10060

POPULATION UNDER UNEVEN PLOTS

Sl. No.	Area	No. of Plots	Person Per Unit	Population
1.	< - 35 sqmt.	20	5	100
2.	35 - 50sqmt.	38	5	190
3.	50 - 150sqmt.	65	10	650
4.	150 - 300sqmt.	27	20	540
				1480

ESTIMATED POPULATION OF PROJECT	
UNDER EVEN PLOTS	10060
UNDER UNEVEN PLOTS	1480
UNDER GROUP HOUSING	2501
TOTAL ESTIMATED POPULATION	14041